कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-36/2017-18/

दिनांक : /09/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी
नगर पा लका परिषद
हरबर्टपुर

वषय : नगर पा लका परिषद का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 05 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग-2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 36/2017-18/   दिनांक : /09/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री कृपाल सिंह चौहान, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री आशीष मालवीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **16.10.2015** से **23.10.2015** तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2012** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **8.2 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **52,971 (वर्ष 2011 के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **15**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **06**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **--**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **58**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: दुकानें एवं कार्यालय भवन

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **आधुनिक पशु वधशाला**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर **1:-** ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न कया जाना एवं ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र प्रे षत न कया जाना।

प्रर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2008 अ धसू चत की गयी थी (सतम्बर 2000) इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधइकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अप शष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण परिवहन, प्र क्रया एवं निस्तारण कया जाना था। नगरीय ठोस अप शष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली बनायी गयी जो म्युनि सपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्न ल खत मानदड़ों का अनुपालन कया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अप शष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अप शष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अप शष्ट का पृथकीकरण	अप शष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरुकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अप शष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्र क्रया को बढावा देना।
ठोस अप शष्ट का भण्ड़ारण	जनसंख्या घनत्व एवं अप शष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सु वधा का वकास एवं भन्न- भन्न प्रकार के अप शष्ट हेतु अलग-अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अप शष्ट का परिवहन	अप शष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अप शष्ट का प्र क्रया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अप शष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजै वक, अ क्रयशील अप शष्टों से भरा जाना चाहिए जो जै वक प्र क्रया द्वारा पुनर्चक्रण उपयोगी न हों।

नगर पा लका परिषद, हरबर्टरुप, देहरादून (न.पा.प.) के ठोस अप शष्ट से सम्बन्धित लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क न.पा.प. परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 04 मीट्रिक टन अप शष्ट को 05 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत कये संग्रहित कया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिना नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न.पा.प. द्वारा ठोस अप शष्ट की प्र क्रया एवं भू-भरण हेतु प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड़ से प्रा धकार पत्र प्राप्त नहीं कया गया था। न.पा.प. द्वारा नियमानुसार वा षक रिपोर्ट शहरी वकास निदेशालय एवं प्रदुषण निंयत्रण बोर्ड़ को प्रत्येक वर्ष प्रे षत नहीं की जा रही थी। न.पा.प. परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अप शष्ट को बिना कसी प्र क्रया के

अना धकृत भू-भाग पर डाला जा रहा था। ट्रें चगं ग्राउण्ड़ परिक्षेत्र का वायु भूगर्भीय जल एवं लीचेट की जांच प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड़ एवं नगर पा लका परिषद द्वारा नहीं कया जा रहा था। जिसके अभाव में पा लका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदुषण का आंकलन कया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त अलावा न.पा.प. के प्रा धकार में कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण हेतु कोई भू म उपलब्ध नहीं थी। न.पा.प. द्वारा वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय वत्त आयोग एवं स्पच्छ भारत मशन के अन्तर्गत व्यय की गयी रा श ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रे षत नहीं कया गया था।

उपरोक्त के अलावा न.पा.प. के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार क मयां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
बिन	11	06	05
वाहन	13	05	08
उपकरण (टीन पंजा, हाथ रिक्सा, ब्हील बैरोज, फावड़ा तलवार एवं सब्बल)	541	146	395

इस प्रकार न.पा.प. द्वारा पा लका परिषद क्षेत्र में ठोस अप शष्ट का प्रबन्धन ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं कया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया क सांइटि फक लैण्ड फल के निर्माण के उपरान्त पृथकीकरण की कार्यवाही की जायेगी, भू म उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसे संग युनिट एवं वैज्ञानिक भू-भरण की स्थापना सम्भव नहीं है वन वभाग से भू म हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। वा षक रिपोर्ट वर्तमान में नहीं भेजी जा रही है, भ वष्य में इसका अनुपालन कया जायेगा। प्रदुषण निंयत्रण बोर्ड़ से प्रा धकार प्राप्त करने हेतु वत्तीय वर्ष के आरम्भ में आवेदन कया जता है ले कन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क न.पा.प. द्वारा ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं कया जा रहा था तथा 2016-17 में व्यय की गयी रा श ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रे षत नहीं कया गया था।

अतः ठोस अप शष्ट के प्रबन्धन में ठोस अप शष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न कये जाने एवं ` 16.46 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र प्रे षत न कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के कारण शासन को `1,87,207/- के राजस्व की हानि |

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान चयनित निर्माण कार्यों में से संलग्नक के अनुसार **19** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`1,89,74,014/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों में प्रयुक्त नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) **`6,09,129/-** की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा केवल **`4,21,922/-** की धनराशि ही राजकोष में जमा कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि रॉयल्टी की बकाया धनराशि **`1,87,207/-** की संबन्धित ठेकेदारों से वसूली करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों के समय ही रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः **`1,87,207/-** की रॉयल्टी की वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के भुगतानों से रॉयल्टी न काटे जाने का

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घन मी. में)					रॉयल्टी कटौती की दर (`प्रति घन मी. में`)	कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती जो की जानी थी
					बालू	बजरी	बोल्डर	पत्थर	योग		
1	2015-16	पालिका निधि	मौ. पठानपुरा में लड्डुन कबाड़ी से इमामबाड़े को होते हुए शियाओं वाली दरगाह की ओर सड़कों का मरम्मत कार्य	437912	57.31	114.61	62.39	0	234.31	154	36084
2	2015-16	पालिका निधि	मौ. पठानपुरा मेन रोड से नानूराव वाली मस्जिद की ओर एवं मदीना मस्जिद के सामने तथा डाक्टर फिरोज के क्लीनिक के आस-पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य	2529113	188.25	372.41	133.58	0	694.24	154	106913
3	2015-16	पालिका निधि	मेन बाजार जैन स्तम्भ से हनुमान चौक तक सड़क मरम्मत कार्य	549424	40.05	80.13	40.28	0	160.46	90	14441
4	2015-16	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 06 मौ. लालबाड़ा में गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के सामने से पुराना डाकखाने होते हुए विजय कुमार के मकान तक सी.सी.सड़क व नाली निर्माण कार्य	803675	57.66	115.32	0.00	0	172.98	90	15568

5	2015-16	राज्य वित्त	टांडा रोड पर सिंचाई विभाग के नाले से टांडा गाँव की तरफ बाईं ओर नाला निर्माण कार्य	1231216	70.99	59.72	38.63	0	169.34	90	15241
6	2015-16	राज्य वित्त	टांडा रोड पर सिंचाई विभाग के नाले से टांडा गाँव की तरफ दाईं ओर नाला निर्माण कार्य	1257864	76.03	73.54	30.77	0	180.34	90	16231
7	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	मंगलौर में जी.टी.रोड से मौहल्ला इस्लाम नगर तक सी.सी.सड़क व नाली निर्माण कार्य	2079523	148.68	272.45	130.50	0	551.63	154	84951
8	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 08 में सरावज्ञान में महावीर स्वीट्स से जैन मन्दिर होते हुए रवीन्द्र कपूर के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य	781615	63.53	127.07	12.00	0	202.60	154	31200
9	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मंगलौर बस स्टैंड के पास लंढ़ौरा रोड पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य	610531	0.20	0.40	0.00	0	0.60	154	92
10	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 04 में मानक चौक में डाट मंदिर से हरि निवास तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य	694086	58.20	116.10	0.00	0	174.30	154	26842
11	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 04 में मानक चौक में हरि निवास तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य	610969	49.49	98.98	0.00	0	148.47	154	22864

12	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 08 में सरावज्ञान में हनुमान चौक भाटिया की दुकान से संजय के मकान को होते हुए पप्पू प्रधान के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य	847024	68.99	137.99	0.00	0	206.98	154	31875
13	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मौ. लालबाड़ा में सर्कुलर रोड पर सैनी प्रिंटिंग प्रेस से कन्या पाठशाला होते हुए राजबाड़े की पटरी की ओर तथा नाले की ओर की गलियों की मरम्मत/सुधार कार्य	974494	55.02	110.03	54.65	0	219.70	154	33834
14	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मौ. मानक चौक में नवाब बेकरी से बच्चापाल व शिव कुमार के मकान की ओर तथा इदरीश की दुकान से सैनी मंदिर तक क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत	373064	29.01	58.01	15.85	0	102.87	154	15842
15	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मौ. मानक चौक में रमेश कपूर के मकान से महेश के मकान की ओर तथा ज्ञानचन्द के मकान से मुस्तक़ीम के मकान तक एवं रामेश्वर दास से मनोहर लाल के मकान तक सड़क मरम्मत/सुधार कार्य	1449763	112.78	222.20	27.00	0	361.98	154	55745

16	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 3 पीरगढ़ी में ढिंढार तालाब के पास मौलवी जरीफ़ के मकान से टावर की ओर वहीद के मकान तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	1024378	85.22	170.44	19.50	0	275.16	154	42375
17	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. मौ. मजबता नई बस्ती में मुड़लाना रोड से नाजिर के मकान तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य	677762	42.66	83.68	0.00	0	126.34	154	19456
18	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मंगलौर मुख्य बाज़ार हनुमान चौक से डाक्टर श्याम सुन्दर के मकान की ओर सड़क का सुधार कार्य	1047140	46.56	93.12	58.20	0	197.88	154	30474
19	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मंगलौर हैदरी चौक से मुख्य बाज़ार की ओर क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार कार्य	841709	45.00	87.50	45.46	0	177.96	154	27406
20	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 06 लालबाड़ा में रोज़वुड पब्लिक स्कूल के सामने से गुले तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य	1027617	49.30	27.84	23.99	0	101.13	154	15574
21	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	मौ. सरायजीत में मुड़लाना रोड पर यासीन के मकान से इस्लाम के मकान की ओर , अनीस के मकान से नौशाद के मकान को होते हुए शफीक के मकान की ओर व सलीम के मकान से अकील व हाशिम के मकान की ओर क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत	706691	76.62	153.07	42.78	0	272.47	154	41960

22	2016-17	पालिका निधि एवं राज्य वित्त	वार्ड नं. 2 निसार के गोदाम से अली हसन के मकान की ओर नाला निर्माण कार्य	814670	39.51	26.01	17.82	0	83.34	154	12834
			कुल योग	**21370240**	**1461.1**	**2600.62**	**753.4**	**0**	**4815.08**		**697802**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3:- सेवा पुस्तिकाओं का अनियमत रख-रखाव एवं वत्तीय स्तरोन्नयन/वा षक वेतन वृद् ध में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011 दिनांक 08/03/2011 के संलग्नक-2 के अनुसार छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरीक्षत वेतन संरचना में लागू ए. सी. पी. के अंतर्गत अनुमन्य वत्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्र क्रया को व र्णत कया गया है।

कार्यालय नगर पा लका परिषद, मंगलौर, जनपद हरिद्वार के अ धकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया क सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में उनके पारिवारिक ववरण, जी.पी.एफ़. नामांकन, डी.सी.आर.जी. नामांकन, पारिवारिक पेंशन नामांकन, कर्मचारी सामूहिक बीमा नामांकन आदि प्रपत्रों को अधतन/संलग्न नहीं कया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अ धकारी द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं का वा षक सत्यापन एवं वा षक वेतन वृद् ध की प्र वष्टियों का सत्यापन नहीं कया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सेवा पुस्तिकाओं में अवकाश लेखों का वर्ष 2010 के बाद अध्यतन नहीं कया गया था (जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं की सूची संलग्नक)। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा 15 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी थी (संलग्नक)।

आगे सेवा पुस्तिकाओं में संलग्न/अं कत वेतन निर्धारण की जांच में पाया गया क निम्नां कत कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण/वत्तीय स्तरोन्न्यन संबंधी त्रुटियाँ थी जिनका ववरण निम्नवत है: -

क्रमांक	नाम (सर्वश्री/श्रीमति)	पदनाम	वेतन निर्धारण में आप त्त/त्रुटि
1.	दीपचन्द	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी की सेवा नियुक्ति ति थ 03/10/1990 थी जिसके अनुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 03/10/2016 को देय तृतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन प्रदत्त नहीं कया गया था।
2.	जगपाल संह	सफाई कर्मचारी	सेवा पुस्तिका के अनुसार 01/07/2016 को निर्धारित वेतन मान 8730/- + 2400 था जब क वेतनबिल के अनुसार 8750/- + 2400 का भुगतान कया जा रहा था।
3.	संजय कुमार पुत्र श्री घसीटू	सफाई कर्मचारी	सेवा पुस्तिका के अनुसार 01/07/2016 को निर्धारित वेतन मान 8820+2400 था जब क वेतनबिल के अनुसार 8810+1900/- का भुगतान कया जा रहा था।

4.	इन्द्र पुत्र श्री मोती	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी की सेवा नियुक्ति ति थ 03/10/1990 थी जिसके अनुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 03/10/2016 को देय तृतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन प्रदत्त नहीं कया गया था।
5.	नीरज संह का लया	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी को 01/07/2014 के बाद वगत तीन वर्षों में वा षक वेतन वृद् ध प्रदत्त नहीं की गयी थी।
6.	राकेश पुत्र बाबुराम	चपरासी	कर्मचारी की सेवा नियुक्ति ति थ 19/04/1990 थी जिसके अनुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 19/04/2016 को देय तृतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन प्रदत्त नहीं कया गया था।
7.	घसीटी पत्नी स्व॰ राधा	सफाई कर्मचारी	01/07/12 को वा षक वेतन वृद् ध पर वेतन निर्धारण 7110/- +1900 के स्थान पर 7100/-+1900 निर्धारित कया गया था एवं तदनुसार आगामी वर्षो मे वा षक वेतन वृद् ध की गणना की गयी थी।
8.	संजय कुमार पुत्र श्री वेदपाल	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी की सेवा नियुक्ति ति थ 30/07/07 है जिसके अनुसार 30/07/07 को वेतनमान 5200/- + 1800/- निर्धारित कया जाना अपे क्षत था परंतु वेतन 5630/- + 1800/- निर्धारित कया गया था तदनुसार आगामी वर्षों वा षक वेतन वृद् ध की गणना की गयी थी।
9.	वनोद पुत्र श्री ओमी	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी की सेवा नियुक्ति ति थ 01/07/2000 थी जिसके अनुसार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01/07/16 को देय द् वतीय तृतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन प्रदत्त नहीं कया गया था।
10.	आनंद पुत्र श्री फुल्ला	सफाई कर्मचारी	01/07/15 को वा षक वेतन वृद् ध की गणना नहीं की गयी है केवल द् वतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन पर 13/12/15 को एक वेतन वृद् ध दी गयी है।
11.	बीर संह पुत्र श्री कशन	सफाई कर्मचारी	01/07/16 को वा षक वेतन वृद् ध की गणना नहीं की गयी है केवल द् वतीय वत्तीय स्तरोन्न्यन पर 03/07/16 को एक वेतन वृद् ध दी गयी है।
12.	काँता पत्नी श्री मुरारी	सफाई कर्मचारी	कर्मचारी को कोई भी वत्तीय स्तरोन्न्यन प्रदत्त नही कया गया था।
13.	सरोज	सफाई कर्मचारी	सेवा पुस्तिका के अनुसार 01/07/16 को वा षक वेतन वृद् ध के उपरांत वेतनमान 8230/- +1800 के सापेक्ष वेतन बिल के अनुसार 8220/-+1800 का भुगतान कया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया है क सेवा पुस्तिकाओं को शीघ्र अद्यतन कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा एवं सेवा पुस्तिकाओं की जांच कर उ चत वेतन निर्धारण की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अ भलेख है जिसका नियमानुसार अद्यतन कया जाना एवं उ चत वेतन निर्धारण कया जाना आवश्यक है ता क कर्मचारी को उ चत देय वेतन का भुगतान कया जाना सुनिश्चित कया जा सके।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी सेवा पुस्तिकाओं से संबन्धित कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री अजहर अली	अ धशासी अ धकारी
2.	श्री असमत जावेद	ल पक
3.	श्री गुरुदयाल संह	कनिष्ठ अ भयंता
4.	श्री कमल दीप	ल पक
5.	श्री तारिक खान	टी॰ सी॰
6.	श्री जावेद खान	चपरासी
7.	श्री राजेश कुमार	सफाई नायक
8.	श्री नारायण	पर्यावरण मत्र
9.	श्री राधेश्याम	पर्यावरण मत्र
10.	श्री आदेश	पर्यावरण मत्र
11.	श्रीमति शबनम	पर्यावरण मत्र
12.	श्री इशत्खार	चपरासी
13.	श्री संजय पुत्र कालु	पर्यावरण मत्र
14.	श्री रामगोपाल	पर्यावरण मत्र
15.	श्रीमति रचना	पर्यावरण मत्र

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 4: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन न कया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत केसमतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्थाद्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पा लका परिषद,मंगलौर,हरिद्वार के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पा लका परिषद,मंगलौर में निम्न ल खत 10 कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त कया गया था:-

क्रमांक	नाम (सर्वश्री)	पदनाम	नियुक्ति की ति थ
1.	राजीव कुमार	सफाई निरीक्षक	08/08/2015
2.	सोनू कुमार	पर्यावरण मत्र	26/11/2005
3.	र वश कुमार	पर्यावरण मत्र	01/10/2007
4.	अनिल कुमार	पर्यावरण मत्र	26/11/2005

5.	संजय कुमार पुत्र श्री वेदपाल	पर्यावरण मत्र	30/07/2007
6.	राकेश पुत्र मूलचंद	पर्यावरण मत्र	01/09/2008
7.	कमलदीप	ल पक	24/07/2008
8.	श्रीमति शबनम	पर्यावरण मत्र	26/11/2011
9.	संदीप	पर्यावरण मत्र	22/09/2016
10.	इश्तखार	चपरासी	18/08/2012

उक्त कर्मचारियों के वेतन बिलों की जांच में पाया गया क कर्मचारियों के वेतन से नियुक्ति ति थ से आति थ (जुलाई 2017) तक न तो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की कटौती (वेतन, महंगाई वेतन/ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत)की जा रही थी और न ही इसी के समतुल्य सेवायोजक द्वारा प्रदत्त कया जा रहा था। इकाई द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन नहीं कया जा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया क शासनादेशों के अभाव में नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन नहीं कया जा सका था। शीघ्र ही उ चत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रयान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आ र्थक क्षति हुयी है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II-'ब '</u>

प्रस्तर 5 : इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `69,472/- के बकाया लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार के चयनित निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार **09** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`92,27,612/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में में **`92,276/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा केवल **`22,804/-** की धनराशि ही राजकोष में जमा कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में लेबर सेस की कटौती नहीं की गई थी तथा लेबर सेस की बकाया धनराशि **`69,472/-** की संबन्धित ठेकेदारों से वसूली करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके कल्याण बोर्ड की निधि में जमा कराया जाना चाहिए था |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 6:- गृहकर**,** ठेकाबाजारी**,** दुकान किराये आदि से संबन्धित अभिलेखों का अनियमित रख-रखाव एवं `24.54 लाख की वसूली लंबित रहना।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंगलौर के गृहकर, ठेकाबाजारी, दुकान किराये आदि से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त मदों में मांग के सापेक्ष वसूली लंबित थी। इकाई द्वारा जिलाधिकारी को भेजे जाने वाली मांग एवं वसूली सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान इकाई द्वारा की गई मांग व वसूली का विवरण निम्नवत था: - (धनराशि `लाख में)

मद का नाम	वर्ष 2015-16				वर्ष 2016-17			
	पूर्व अवशेष (31/03/15) (A)	मांग (B)	वसूली (C)	अवशेष (D) = A+B-C	पूर्व अवशेष (31/03/16) (E)	मांग (F)	वसूली (G)	अवशेष (H) = E+F-G
गृहकर	17.32	12.80	16.01	14.11	14.11	12.80	11.29	15.62
ठेकाबाजारी	0.64	4.10	4.54	0.29	0.29	6.50	2.53	4.26
दुकान किराया	3.88	3.05	3.05	4.04	4.04	3.05	2.43	4.66
							योग =	24.**54**

आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई की गृहकर, ठेकाबाजारी व दुकान किराए से संबन्धित पंजिकाएं अपूर्ण थी जिसके कारण उक्त वसूली व अवशेष धनराशि का मिलान नहीं किया जा सका था। इकाई के दुकान किराए की पंजिका की जांच में पाया गया कि इकाई के पास वर्तमान में 42 दुकाने थी। उक्त दुकानों को मासिक दर (14 रुपए से 2100/-) से किराए पर दिया गया था जो कि लंबे समय से पुनरीक्षित नहीं किया गया था जबकि किराएदारों से किए गए अनुबंध एवं शासन के पत्रांक दिनांक सितंबर 1977 के अनुसार पालिका को प्रत्येक पाँच वर्षों में किराए में वृद्धि का अधिकार होगा, जो कि नहीं किया जा रहा था (दुकानों का विवरण संलग्नक ब)।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क लंबित वसूली की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। संबन्धित पंजिकाओं का अद्यतन कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कया जाएगा। बोर्ड में प्रस्ताव कर कराया पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वसूली लंबित रहना एवं अ भलेखों का अद्यतन न होना वभागीय श थलता को दर्शाता है एवं दुकान कराएका पुनरीक्षण न होने के कारण इकाई के निजी स्रोतों से कम आय प्राप्त हुयी है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

नगर पा लका परिषद मंगलौर की दुकानों का ववरण

क्रमांक	दुकान का पता	कराएदार का नाम	मा सक कराया	अनुबंध/पछली कराया पुनरीक्षण की ति थ
1.	दुकान चौक बाजार	श्री मरगूब इलाही पुत्र अय्युब	117	1976
2.	दुकान चौक बाजार	श्री मुशर्रफ पुत्र अ॰ हमीद	135	2003
3.	दुकान चौक बाजार	श्री फरमान पुत्र जमील	300	27/10/09
4.	दुकान चौक बाजार	श्री मुशर्रफ पुत्र अ॰ हमीद	117	1993
5.	दुकान चौक बाजार	श्री राम कुमार पुत्र श्री चंद्रभान	74	On 12/8/77 @65/- increased to 74from 02/06/07
6.	दुकान चौक बाजार	श्री इकबाल चन्द्र पुत्र तीर्थराम	14	2003
7.	दुकान चौक बाजार	श्री इंद्रा सैन पुत्र चैतराम	14	2003
8.	दुकान चौक बाजार	श्री वनोद कुमार पुत्र रमेश चन्द्र	250	21/03/07
9.	दुकान चौक बाजार	श्री सईद अहमद	135	2003
10.	दुकान चौक बाजार	श्री मुमताज़	234	2004
11.	दुकान चौक बाजार	अनीस, मौबीन, सुएब पुत्र यास्मीन	53	2003
12.	दुकान चौक बाजार	श्री नसीर अहमद पुत्र रहमता	21	On 15/01/1974 @ 18.75/-
13.	दुकान सब्जी मंडी	श्री हरीराम पुत्र फ़ूल संह	--	---
14.	दुकान चौक बाजार	श्री जुल्फ़ुकार पुत्र निसार	410	27/09/2012
15.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री यामीन अहमद पुत्र रहीम	400	28/04/2008
16.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री आर॰ के॰ शर्मा पुत्र सोमदत्त	225	21/03/2003/
17.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री जहांगीर आलम पुत्र इस्माइल	225	29/03/2003
18.	दुकान लंड़ौरा रोड	मो॰ शमसाद पुत्र फकीरा	282	14/08/2000
19.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री नानु पुत्र फजला	197	1985
20.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री मुर्तजा पुत्र शरीफ	296	11/07/11
21.	दुकान लंड़ौरा रोड	मो॰ का मल पुत्र श्री का सम	197	24/03/2003
22.	दुकान लंड़ौरा रोड	श्री सोमपाल संह पुत्र चौहल	113	24/03/2003
23.	दुकान पुरानी चुंगी न॰ 04 मौ॰ मजबता	श्री रिहान अली, पुत्र रशीद अहमद	130	2003
24.	दुकान पुरानी चुंगी न॰ 04 मौ॰ मजबता	श्री लतीफ़ अहमद पुत्र आ शक अली	118	2003

25.	दुकान पुरानी चुंगी न. 05 मानक चौक	श्री जमशेद उस्मानी पुत्र मौ. सादिक़	79	2003
26.	गैराज भवन निकट पानी की टंकी	श्री मो. खा लद पुत्र अनवारु लहक	225	14/07/2000
27.	चुंगी न. 03 भवन लंडौरा रोड	श्री इसरार पुत्र अ. वहीद	186	2003
28.	छत दुकान न. 19 व 20 लंडौरा रोड	स्व. श्रीमति अनीता पत्नी सोमपाल	113	2003
29.	दुकान स्थित कला रोड	श्री पंकू पुत्र अतर संह	1500	2008
30.	दुकान स्थित कला रोड	श्री वसीम अहमद पुत्र शमीम अहमद	1010	12/04/2012
31.	दुकान स्थित कला रोड	मो. शमीम पुत्र जब्बार	925	12/10/2007
32.	दुकान स्थित कला रोड	श्री तस्लीम पुत्र बसीर	850	12/01/2009
33.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री कुर्बान पुत्र अली हसन	1500	19/12/2008
34.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री शकील अहमद पुत्र शफ़फ्कत अली	1525	2008
35.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री परवस अली पुत्र श्री अली मोहम्मद	1450	30/01/2009
36.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री मो. आलम पुत्र मुंतजीर	1650	03/02/2009
37.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री मो. युनूस उर्फ भूरा पुत्र मोहम्मद	1900	2009
38.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री मंजीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री कशौरी रमन	2000	31/07/2012
39.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री राजकुमार पुत्र श्री कृपाराम	1500	02/01/2008
40.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्रीमति कुसुम पत्नी श्री अशोक	1500	जनवरी 2009
41.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री तस्लीम पुत्र बसीर	2100	2008
42.	पा लका कंपाउंड में स्थित दुकान	श्री जाहीर पुत्र गफूर	850	2008

<u>भाग-III</u>

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **11 अगस्त 2017** से **21 अगस्त 2017** तक संपादित की गयी|

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-35/2015-16 दिनांकित 27.05.2016	4(ब)-I का प्रस्तर संख्या 01	4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 01 से 04

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-35/2015-16 दिनांकित 27.05.2016	शून्य	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई	इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी|	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका|	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है| तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ
   (i) नगरीय ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा है|

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री अज़हर अली	अधिशासी अधिकारी	20.06.2015 से अब तक
02.	श्री एलम दास	अधिशासी अधिकारी	26.06.14 से 20.06.15 तक
03.	चौ. इस्लाम	नगर पालिका अध्यक्ष	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाय|

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-01
शिविर-मंगलौर, हरिद्वार

दिनांक : ___________

<u>भाग – V</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाय|

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर, जनपद – हरिद्वार कृपया विचार विमर्श करें एवं तथ्यों का सत्यापन करें|

लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-01
शिविर-मंगलौर

दिनांक : __________

<u>प्रति हस्ताक्षरित</u>

विचार विमर्श कर तथ्यों का सत्यापन किया|

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंगलौर
जनपद – हरिद्वार

दिनांक : __________